



उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकम)

कारपोरेट लेखा इकाई

९वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,

१४-अशोक मार्ग, लखनऊ।

CIN : U40101UP1980SGC005065

पत्रांक ८२ / उ०नि०लि० / उ०मु०ले०(लेखा)

दिनांक ०३/०९/ २०२०

कार्यालय ज्ञाप

परियोजनाओं के लेखे में विद्युत बिक्री पर लगने वाले विद्युत कर (Electricity Duty) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक मुख्यालय द्वारा किया जा रहा था। उक्त व्यवस्था को समाप्त करते हुए दिनांक 01.04.2020 से परियोजना द्वारा सीधे अपने स्तर से विद्युत कर का उ०प्र० विद्युत कर अधिनियम-1952 के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

बैठकता ०३-०९-२०
निदेशक (वित्त)

पत्रांक /उ०नि०लि० / उ०मु०ले०(लेखा) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (वित्त) के स्टॉफ अधिकारी/निजि सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/ तकनीकी/ परियोजना एवं वाणिज्य) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
3. मुख्य अभियन्ता(पर्यावरण एवं सुरक्षा) / (जानपद) / (जानपद नव-परियोजना), तापीय परिचालन इकाई/ ईधन/ पीपीएमएम/वाणिज्य/आर०एण्डएम०/प्रगति इकाई, शक्ति भवन विस्तार, उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, अनपर्णा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र) / पारीछा(झांसी) / हरदुआगंज-कासिमपुर(अलीगढ़) / पनकी(कानपुर)।
5. उप मुख्य लेखाधिकारी(वित्त-१/वित्त-११/सम्प्रेक्षा), शक्ति भवन विस्तार, उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
6. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. कट फाइल।

०३-०९-२०
(एस०क० मिश्र)
लेखाधिकारी (लेखा)